

भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
बेलापुर, नवी मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक, बेलापुर, नवी मुंबई से/तक महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न मुद्रा चेस्ट और अन्य स्थानों से/तक सिक्कों के कैरीयर के जोखिम के आधार पर परिवहन के लिए पूरी तरह से कवर कंटेनर ट्रकों / वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति के लिए ई-टेंडर

आर बी आई /बेलापुर / Estate/101/18-19/ET/191

भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
बेलापुर, नवी मुंबई

डिस्क्लेमर

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई ने इच्छुक पक्षों को संविदा के पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहाँ मौजूद जानकारी की तैयारी में उचित ध्यान रखा है और इसे संगत माना जाता है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसका कोई प्राधिकारी या एजेंसी और न ही उनका कोई अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता कोई वारंटी या कोई अभ्यावेदन देते हैं, व्यक्त करते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी की या कोई जानकारी जो इसके साथ प्रदान की जा सकती है को पूर्ण या सही माना जाए।

यह अपेक्षा नहीं हो कि जानकारी संपूर्ण है। इच्छुक पार्टियों से अपेक्षित है कि वे स्वतः पूछताछ करें और प्रतिवादियों को लिखित रूप में यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल आरबीआई द्वारा निविदा प्रस्तुत करने में दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसियों या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ठेका पर आगे की कार्रवाई या ठेका के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित टाइम टेबल को बदलने या लागू होने वाली प्रक्रिया को बदलने का अधिकार आरक्षित रखता है। यह किसी भी पार्टी द्वारा रुचि व्यक्त करने के साथ मामले पर आगे चर्चा करने के लिए मना करने का अधिकार भी रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

1. ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर एम एस टी सी लिमिटेड (MSTC Limited) है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले सूचना आमंत्रण निविदा और उसके बाद के शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें। निविदाकर्ता जो दस्तावेजी प्रमाण से संबंधित शर्तों का पालन नहीं करते हैं (जहां भी आवश्यक हो) तकनीकी बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो कि निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता (विक्रेता) इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसके/उसकी/अपनी बोली जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III टाइप का हस्ताक्षर करने वाला डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को P.C जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो उससे बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। MSTC / RBI, निर्गम विभाग, CBD बेलापुर ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)।

विक्रेताओं को विक्रेता के रूप में www.mstcecommerce.com → eProcurement → PSU / Govt.Depts → Select RBI Logo → Register पर विवरण दर्ज करते हुए रजिस्टर करना होगा और स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर सबमिट करें।

विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, MSTC / RBI, निर्गम विभाग, CBD बेलापुर (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति: आर बी आई, बेलापुर

श्री बी.बालकृष्ण

उप महाप्रबंधक

फोन: + 91-22-27523009

ईमेल: bbalakrishna@rbi.org.in

श्री राकेश कुमार वर्मा

सहायक महाप्रबंधक, आरबीआई

फोन: + 91-22-27523064

ईमेल: rkverma@rbi.org.in

श्री कपिल गोस्वामी
 प्रबंधक, आरबीआई
 फोन: + 91-22-27523136
 ईमेल: kapilgoswami@rbi.org.in

श्री एम. आदित नारायण
 प्रबंधक, आरबीआई
 फोन: + 91-22-27523120
 ई-मेल: aditnarayan@rbi.org.in

संपर्क व्यक्ति: एम एस टी सी

सुश्री अर्चना जुनेजा, सहायक प्रबंधक
 मोबाइल नं.-9990673698
 ई-मेल archana@mstcindia.co.in

सुश्री रूपाली पांडे, सहायक प्रबंधक
 मोबाइल नंबर- 9485704037
 ईमेल rpandey@mstcindia.co.in

श्री अभिषेक केर. कनौजिया, कार्यकारी
 मोबाइल नं.-9953089772

विक्रेताओं के लिए केंद्रीकृत MSTC हेल्पडेस्क
 फोन नंबर 033-22901004

वेंडर्स के लिए MSTC मुंबई में हेल्पडेस्क
 फोन नंबर 022-22870471 / 22886266

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता www.mstcecommerce.com/eprhome पर उपलब्ध वेंडर गाइड और FAQ का संदर्भ ले सकते हैं

2. लेन-देन शुल्क हेतु विशेष नोट:

विक्रेता, विक्रेता लॉगिन में "My Menu" के तहत "Transaction Fee Payment" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास भुगतान करने की सुविधा NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान तैयार करेगा। विक्रेता बिना किसी बदलाव के चालान पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि भेज देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान MSTC के नामित बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है.

लेन-देन शुल्क के भुगतान के बिना विक्रेता ऑनलाइन ई-टेंडर को एक्सेस नहीं कर पायेगा।

नोट

बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे इवेंट के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को भेज दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दे सकें।

3. निविदा /शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी केवल निविदा के अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी MSTC के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (सूचना आमंत्रित निविदा) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-टेंडर एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

5. ई-टेंडर में बोली लगाना:

क) वेंडर (रों) को ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने हेतु आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा वापस किया जाएगा।

ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय / मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया शामिल है। निविदा में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय / मूल्य प्रारूपों में दर्ज किया जाना चाहिए। निविदा में दिए गए अनुसार तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं खोली जाएंगी।

ग) विक्रेता (ओं) जिन्होंने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल MSTC वेबसाइट www.mstcecommerce.com → eprocurement → PSU/Govt. depts → Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event www.mstcecommerce.com में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकते हैं

घ) विक्रेता को JAVA एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह प्रक्रिया बिड फ्लोर खोलने के तुरंत बाद किया जाना है। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स / कमर्शियल स्पेसिफिकेशन भरना होगा और वही सेव करना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलती है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सेव / जमा नहीं कर सकेगा।

ड.) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, फाइनेंशियल बिड लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरा जाना चाहिए और

फिर विक्रेता को अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए " save " पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली को पंजीकृत करने के लिए " Final submission " बटन पर क्लिक कर सकता है।

च) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए " Attach Doc button" का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

छ) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली प्रस्तुत करने के समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ज) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता पूरी तरह से एक-दूसरे के साथ और हर किसी के लिए भी गुमनाम रहेंगे।

झ) ई-टेंडर फ्लोर पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर बताई गई अवधि के लिए खुला रहेगा।

ञ) ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां कानूनी रूप से विक्रेता के लिए बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी जाने वाली वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा उसी की स्वीकृति से आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा।

ट) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ अन्यथा सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ठ) निविदा आमंत्रण प्राधिकारी बिना किसी कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ड) निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने की पुष्टि करता है।

6. इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

7. तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है।

8. निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए इस ई-टेंडर को रद्द करने या इसके लिए बोली (ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख का विस्तार करना का अधिकार आरक्षित रखता है।

9. विक्रेताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए पृष्ठ www.mstcecommerce.com/eprochome में वीडियो देखें।

विषय - सूची

खंड I: नोटिस आमंत्रित निविदा (एनआईटी)

खंड II: बोलीदाताओं को निर्देश (ITB)

खंड III: अनुबंध के नियम और शर्तें

खंड IV: निविदा प्रपत्र - भाग- I (तकनीकी बोली)

खंड V: तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

खंड VI: भाग- I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन

खंड VII: निविदा प्रपत्र - भाग- II (वित्तीय बोली)

खंड VIII: भाग- II का मूल्यांकन (वित्तीय बोली)



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
बेलापुर, नवी मुंबई

खंड-1

नोटिस आमंत्रित निविदा (एनआईटी)

(केवल ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से)

निविदा की अनुसूची(एसओटी)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके आगे से "आर बी आई" के रूप में संदर्भित), बेलापुर, नवी मुंबई से/तक महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में मुद्रा चेस्ट और अन्य स्थान से/तक सिक्को के कैरीयर के जोखिम के आधार पर परिवहन के लिए पर्याप्त रूप से कवर कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति के लिए, आर बी आई द्वारा पात्र बोलीदाताओं से दो भाग में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले केवल इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। चयनित बोलीदाता/ओं सिक्कों के उनके जोखिम पर परिवहन के लिए पर्याप्त रूप से कवर कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या में एक वर्ष की अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए आपूर्ति करेंगे, जिसे आगे और दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ / के बिना, करार के नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के तहत।

ए.	ई –निविदा संख्या	आर बी आई / बेलापुर/Estate/101/18-19/ET/191
बी.	निविदा का माध्यम	MSTC ई-कॉमर्स साइट पर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II – वित्तीय बोली)
सी.	कार्य का अनुमानित मूल्य	₹40,00,000/- (लगभग)
डी.	पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तारीख	10 जनवरी 2019 – दोपहर 02.00बजे से

ई.	बोली पूर्व बैठक	बोली से पहले बैठक (ऑफ-लाइन) 17 जनवरी, 2019 को शाम 03:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, नया सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, सेक्टर -10, प्लॉट नं. 3, एच.एच.निर्मलादेवी मार्ग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 में होगी।
एफ.	लेनदेन शुल्क	निविदा के अनुमानित मूल्य का 0.05% प्लस जी एस टी @18% अर्थात् ₹2360/-
जी.	बयाना जमा राशि	₹80,000/- (केवल अस्सी हजार रुपये)
एच.	www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑन लाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-टेंडर के शुरुआत की तारीख	11 जनवरी 2019 – सुबह 10:00 बजे से
आई.	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर बंद करने की तिथि	1 फरवरी 2019 दोपहर 02:00 बजे
जे.	ई एम डी जमा करने की अंतिम तिथि	31 जनवरी 2019
के.	तकनीकी बोली के आरंभ करने का दिनांक और खोलने का समय	1 फरवरी 2019 – अपराह्न 04:00 बजे से
एल.	वित्तीय बोली के आरंभ करने का दिनांक और खोलने का समय	15 फरवरी 2019 – अपराह्न 04:00 बजे से

3. ऊपर बताई गई किसी तारीख को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, यहां उल्लिखित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस होगा। निविदा दस्तावेज www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन (नों) / शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट / ई-पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट / ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

4. ऊपर निर्दिष्ट सेवाएं भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, बेलापुर, नवी मुंबई को सफल बोलीदाता / ओं द्वारा प्रदान की जानी हैं।

खंड II:

बोलीकर्ताओं को निर्देश

ए. सामान्य	
1. निविदा का दायरा	1.1 पात्र बोलीदाताओं से भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "RBI" के रूप में संदर्भित), सी बी डी बेलापुर, नवी मुंबई द्वारा ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकार पूरी तरह से कवर किए गए कंटेनर ट्रकों / वाहनों जिनकी बॉडी धातु की हो और उचित मोटाई हो, अधिमानतः बुलेट/टैम्पर प्रूफ, डबल लॉकिंग व्यवस्था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सिद्धों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में आरबीआई, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई से इसके अधिकार क्षेत्र और महाराष्ट्र और गोवा में किसी भी अन्य स्थान पर स्थित मुद्रा चेस्टों तक अपने जोखिम पर आपूर्ति करेगा

2. निषिद्ध आचरण	<p>2.1 बैंक की अपेक्षा है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने हेतु इच्छुक निविदाकार, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, ठेका / नियोजन की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। बैंक इस नीति के अनुसरण में:</p> <p>(ए) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दिए गए शर्त निषिद्ध आचरण के रूप में परिभाषित करता है:</p> <p>(i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है, किसी अन्य पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेंट, देना, प्राप्त करना या आग्रह करना;</p> <p>(ii) "कपटपूर्ण आचरण" का अर्थ किसी भी कार्य या चूक से है, जिसमें गलत बयानी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, पार्टी को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या दायित्व से बचने के लिए;</p> <p>(iii) "प्रतिरोधी आचरण" का अर्थ है, किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाना, या हानि पहुंचाने की धमकी देना ताकि पार्टी के कार्यों को अनुचित तरीके से</p>
-----------------	--

	<p>प्रभावित कर सकें ; तथा</p> <p>(iv) “कपटपूर्ण आचरण” का अर्थ है एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करना जिसमें किसी अन्य पार्टी के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करना शामिल है, के लिए डिज़ाइन की गई दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक व्यवस्था,</p> <p>(बी) प्रस्ताव को देने को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित हो जाता है कि निविदा को पाने के लिए निविदाकर्ता प्रतिबंधित आचरण में संलग्न है;</p> <p>(सी) निविदाकर्ता को या तो अनिश्चित काल या किसी निर्दिष्ट समय के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता प्रतिस्पर्धा में या ठेका को निष्पादित करने में निषिद्ध आचरण में लगा हुआ है;</p>
<p>3. पात्रता मानदंड</p>	<p>3.1 निविदाकर्ता अनुभवी और संसाधनयुक्त, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस धारक इकाई (कंपनी / साझेदारी / मालिकाना फर्म, आदि)होना, चाहिए, जिसके पास :</p> <p>i. इसी तरह के काम को करने में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव</p> <p>ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ठेके के अनुमानित व्यय का कम से कम 25% न्यूनतम वार्षिक औसत टर्न ओवर, जो ऑडिटेड विवरणों द्वारा समर्थित।</p> <p>iii. नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार सकारात्मक शुद्ध मूल्या। निविदाकर्ता बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित साल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>iv. न्यूनतम 5 पूर्ण रूप से कवर किए गए कंटेनर ट्रकों / वाहनों जिनकी क्षमता 7.5MT हो ,बॉडी धातु की हो और उचित मोटाई हो, अधिमानतः बुलेट/टैम्पर प्रूफ, डबल लॉकिंग व्यवस्था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) हो ।</p> <p>v. कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निविदाकर्ता के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी।</p> <p>vi. ठेके को सफलता से प्रदान करने की स्थिति में, निविदाकर्ता के पास ठेका के निष्पादन के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के म्युनिसिपल क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय / स्थानीय प्रतिनिधि होगा।</p> <p>vii. निविदाकर्ता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से किसी एक में अपना खाता रखेगा। बैंक के नाम और रखे गए खाते के प्रकार को बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>

	नोट: निविदाकार आवश्यक योग्यता / पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
4. निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण	4.1 बोली से पहले बैठक (ऑफ-लाइन) 17 जनवरी, 2019 को दोपहर 3:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, नया सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, सेक्टर - 10, प्लॉट नंबर 3, एच.एच.निर्मलादेवी मार्ग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 में आयोजित की जाएगी।।
5. निविदा दस्तावेज में संशोधन	5.1 निविदाओं को जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) / ई-पोर्टल पर संशोधन / शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। जारी किया गया कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक हिस्सा होगा। 5.2 भावी निविदाकारों को उचित समय देने के लिए, जिसमें अपने निविदाएं तैयार करने में कोई भी / सभी संशोधन / शुद्धिपत्र शामिल करने के लिए, बैंक अपने विवेक से, निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकते हैं।

बी. निविदा तैयार करना	
6. निविदा की लागत	6.1 निविदाकर्ता अपने निविदा की तैयारी और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे, भले ही निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।
7. निविदा में शामिल दस्तावेज	7.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: खंड I: नोटिस आमंत्रित निविदा (एनआईटी) खंड II: बोलीदाताओं को निर्देश (आई टी बी) खंड III: अनुबंध के नियम और शर्तें खंड IV: निविदा प्रपत्र - भाग- I (तकनीकी बोली) खंड V: तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची खंड VI: भाग- I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन खंड VII: निविदा प्रपत्र - भाग- II (वित्तीय बोली) खंड VIII: भाग- II का मूल्यांकन (वित्तीय बोली)

8. टेंडर का पत्र	8.1 निविदाकर्ता बिना किसी परिवर्तन के ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर क्लास III का उपयोग कर निविदा प्रस्तुत करेगा। सभी रिक्त स्थान अनुरोधित जानकारी के साथ भरे जाएंगे।
9. निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज	9.1 खंड II (पैरा 3) के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने हेतु, निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करते समय सभी संबंधित दस्तावेज / रिकॉर्ड / जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
10. निविदाओं की वैधता की अवधि	10.1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से निविदा की वैधता अवधि 90 दिन होगी। 10.2 असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से उनके निविदाओं की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और जवाबी कार्रवाई लिखित रूप में की जाएगी।
11. निविदा सुरक्षा के रूप में ईएमडी	11.1 निविदाकारों को ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा वापस किया जाएगा। 11.2 एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, बेलापुर, नवी मुंबई में ₹80,000/-- (रुपए अस्सी हजार केवल) की ईएमडी करनी होगी। एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी राशि के हस्तांतरण के लिए खाता और अन्य विवरण निम्नानुसार हैं: (i) लाभार्थी का नाम - आरबीआई, बेलापुर, नवी मुंबई (ii) खाता संख्या – 186003001 (iii) आई एफ सी कोड - RBIS0NMPA01
सी. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण और खोलना	
12. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण, सील और अंकन	12.1 निविदाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने वाले निविदाकार ई-टेंडर से संबंधित निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन करेंगे।

	<p>12.2 निविदाकार अपनी तकनीकी बोली निर्धारित प्रारूप (भाग- I)में इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां, खंड V में दिए गए दस्तावेजों की सूची के अनुसार और वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरों) निर्धारित प्रारूप (भाग) -II) में प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-टेंडर सभी सूचनाओं के साथ अंतिम तिथि को निर्धारित समय पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>12.3 यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।</p>
--	---

<p>13. समय सीमा निविदाओं का प्रस्तुतिकरण</p>	<p>13.1 इस दस्तावेज में उल्लिखित तारीख और समय के बाद ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं ऑनलाइन नहीं भरी जानी चाहिए।</p> <p>13.2 बैंक अपने विवेक से, निविदा दस्तावेज में संशोधन करते हुए निविदाएं प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।</p>
<p>14. देर से निविदाएँ</p>	<p>14.1 ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद कोई निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी</p>
<p>15. निविदा खोलना</p>	<p>15.1 बैंक अधिसूचित तिथि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा।</p>
<p>डी) निविदाओं की जांच</p>	
<p>16. गोपनीयता</p>	<p>16.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकारों या किसी अन्य व्यक्ति जो आधिकारिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं हो, को नहीं बताई जाएगी, जब तक कि ठेका देने के बारे में जानकारी सभी निविदाकारों को सूचित नहीं की जाती है।</p>

<p>17. निविदाओं का स्पष्टीकरण</p>	<p>17.1 निविदाओं और निविदाकारों की योग्यता की जांच, मूल्यांकन, तुलना में मदद करने के लिए, बैंक अपने विवेक से, किसी भी निविदाकार से उसके निविदा के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है, जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक द्वारा अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक को लिखित रूप में स्पष्टीकरण और जवाब दिया जायेगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा पाए गए अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा, निविदा के मूल्यों या विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।</p> <p>17.2 बैंक द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि और समय के भीतर यदि कोई निविदाकर्ता अपनी निविदा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है तो, उसकी निविदा खारिज कर दी जाएगी।</p>
<p>ई. टेंडर मूल्यांकन और तुलना</p>	
<p>18. निविदाकर्ता की योग्यता</p>	<p>18.1 बैंक अपनी संतुष्टि का निर्धारण करेगा कि चयनित निविदाकर्ता खंड II (पैरा 3) के अनुसार योग्यता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।</p>
<p>19. निविदाओं की संवीक्षा / मूल्यांकन</p>	<p>19.1 निविदायें जिसमें दो भाग शामिल हैं यानी भाग I "कार्य का दायरा और व्यावसायिक शर्तें" और भाग II "मूल्य बोली" को ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>i. भाग I, कार्य का दायरा और व्यावसायिक शर्तें"के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाना है:</p> <p>क. एनईएफटी के माध्यम से ₹80,000 / - (केवल अस्सी हजार रुपए) की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इस जमा राशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p> <p>ख. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी/ ऑथोरायजेशन साथ में कंपनी / फर्म की मुहर।</p> <p>ग. निविदा के तहत दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>घ. वचनपत्र जिसमें उल्लेख हो कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान के लिए विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी / व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।</p> <p>ड. मास्कड इंडीकेटिव मूल्य बोली जिसमें मूल्य ब्रेक-अप अनुसूची के अनुसार</p>

सभी घटकों को सूचीबद्ध किया हो किसी भी कीमत को इंगित किए बिना ।
 च. निविदाकर्ता कोई भी अन्य जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हो।

ii. निविदा की "मूल्य बोली" पर भाग II को अलग से प्रस्तुत किया जाना है जिसमें मूल्य भारतीय रुपए में ही हो, साथ में सेक्शन- VII में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में अंको और शब्दों में मूल्य का विस्तृत ब्रेक-अप । भाग II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है। नियम और शर्तों में बदलाव और विचलन, यदि कोई हो, निविदा के भाग II में पाए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरों को मुक्कमल कार्य के लिए समझा जाएगा और जो भी बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी होगा।

iii. निविदाओं के भाग I को निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों जो उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोला जाएगा,

iv. निविदाओं को पहले यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं और आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं जैसा कि निविदा दस्तावेज में निर्धारित किया गया है, निविदाएं जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उनके जवाब नहीं दिए जायेंगे और अनदेखा किया जाएगा ।

v. केवल ऐसे निविदाकारों के मूल्य बोली (भाग II) को इस दस्तावेज में उल्लिखित तिथि को खोला जाएगा जिनके निविदाओं के भाग I की जांच के बाद उन्हें योग्य पाया गया हो ।

vi. बैंक उस निविदाकार को ठेका देगा, जिसकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के लिए पर्याप्त रूप से रेस्पॉंसिव होगी और जिसने ठेके सभी घटक के मूल्यों पर विचार करते हुए L1 आने के लिए उचित बोली मूल्य का प्रस्ताव किया हो ।

vii. कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक को स्वतंत्रता होगी कि वह न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार न करे और किसी भी या सभी निविदाओं को किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित रखेगा। , बिना कोई कारण बताए।

viii. यह काम वर्ष के दौरान कवर किए गए किलो मीटर के आधार पर वितरित किया जा सकता है । कार्य का विभाजन निम्नानुसार होगा:

	<p>क. एक से अधिक L1 बोलीकर्ता होने की स्थिति में, पूरा कार्य समान रूप से L1 बोली लगाने वालों के बीच ((50:50), (33.3:33.3:33.3)) आदि वितरित किया जा सकता है।</p> <p>ख. अन्यथा, पूरे काम को 60:40 (लगभग)के अनुपात में L1 और L2 के बीच विभाजित किया जा सकता है बशर्ते L2 बोलीकर्ता प्रस्तावित दर के लिए सहमत हो और हामी भरी हो और L1 बोलीकर्ता के साथ फी अंतिम रूप दिया हो। यह L1 बोलीकर्ता की आपूर्ति क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है और केवल एक ठेकेदार पर पूरी निर्भरता को कम करने का आशय है।</p> <p>ग. यदि L2 बोलीकर्ता L1 के दर से मैच करने के लिए सहमत नहीं है तो L3, L4 आदि बोलीकर्ता उसी क्रम में है L1 दर से मैच करने का अवसर दिया जाएगा, शेष 40 % के कार्य को प्रदान करने के लिए।</p> <p>घ. यदि L1 की प्रस्तावित की दर से मेल करने के लिए L2, L3, L4 आदि सहमत नहीं हैं, तो शेष अनुमानित काम (40%) भी L1 बोलीकर्ता को अर्बाई किया जायेगा।</p>
<p>20. बेस रेट</p>	<p>20.1 फाइनेंशियल बिड (Par-II) में निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों की तुलना उन मौजूदा दरों से की जाएगी, जिस पर वर्तमान ठेकेदार आरबीआई, बेलापुर द्वारा लगा हुआ है। वर्ष 2018-19 के लिए वर्तमान अनुबंधित दर को आधार दर के रूप में माना जाएगा और सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार (+/- 25%) से ऊपर के विचलन को फ्रेक दर माना जाएगा। बेस रेट यानी मौजूदा दरें निर्गम विभाग, आरबीआई, सीवीडी बेलापुर में उपलब्ध हैं और जो भी निविदाकर्ता मौजूदा दरों को ब्राउज़ करना चाहते हैं, वे निर्गम विभाग, आरबीआई, सीवीडी बेलापुर से संपर्क कर सकते हैं।</p>
<p>21. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने के लिए बैंक का अधिकार</p>	<p>21.1 बैंक के पास, किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध अर्बाई से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित रखता है, निविदाकर्ताओं पर कोई देयता डाले बिना या इसके कोई कारण बताए बिना। इसके अलावा सशर्त बोलियों को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>

एफ. ठेका प्रदान करना	
22. अनुबंध की अवधि	<p>22.1 अनुबंध को देने की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा, जिसे दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष में एक बार, बिना नियम और शर्तों में बदलाव के साथ/बदलाव के बिना, अनुबंध के नियमों और शर्तों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन।</p> <p>22.2 अपनी निविदा की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जो खंड III में निर्दिष्ट है, और दरों की अनुसूची, अंतिम रूप से प्राप्त किये गए ।</p>

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

ए . सामान्य शर्तें:

i बैंक निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं है।

ii उद्धृत दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में उल्लेख किये गए दर पर विचार किया जाएगा।

iii निविदाकर्ता से अपेक्षित है कि निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करें। निविदा दस्तावेज के लिए आवश्यक सभी / कोई भी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

बी . निविदाओं की अयोग्यता / अस्वीकृति की स्थिति

i. निविदाकर्ता की ओर से या उसके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी तरह की कैनवासिंग के कारण अयोग्य हो जाएगा। ऐसे निविदाकर्ता/ओं को अगले तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। यदि इस तरह के दृष्टांत चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चल पाते हैं, लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो इस तरह की अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ होगी।

ii. सभी निविदाएं सभी मामलों में सभी संलग्नकों / संलग्नक / अनुलग्नक के साथ पूर्ण होनी चाहिए। अधूरे फॉर्म, या निर्धारित प्रारूप के अलावा या बिना उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के किसी भी प्रारूप में प्राप्त बोलियां बाहर हो जायेंगी और तुरंत बैंक द्वारा खारिज कर दी जाएंगी।

iii. निर्दिष्ट के तरीके के अलावा फैक्स या ईमेल या किसी भी तरीके से प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और संक्षेप में खारिज कर दी जाएंगी। इस मामले पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

iv. निर्धारित ईएमडी / प्रसंस्करण शुल्क से कम या बिना प्राप्त किए गए बोली प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा।

v. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाएं सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

vi. सशर्त निविदाओं को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई अतिरिक्त खंड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vii. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने से ईएमडी का जब्त कर लिया जायेगा।

viii. वैकल्पिक प्रस्तावों / पूर्णता के लिए समय की अनुमति नहीं होगी

सी. विवाद का समाधान

i. विधिवत रूप से नोट किया जाए कि इस निविदा की शर्तों पर किसी भी / सभी विवादों के बारे में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।

ii. करार के तहत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ यानी महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई को भेजी जाए और उनके निर्णय, लिखित रूप में, अंतिम और सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होंगे। हालांकि, किसी भी विवाद / मुद्दे, मध्यस्थता के माध्यम से तय नहीं किया जाने पर, कानूनी अधिकार क्षेत्र केवल नवी मुंबई होगा। वैकल्पिक समझौता मोड का उपयोग किसी भी कानूनी विवाद को केवल आपसी सहमति से निपटाने के लिए किया जा सकता है।

डी. अप्रत्याशित घटना

i. इस दस्तावेज़ में कुछ और होने के बावजूद, पार्टी अपने दायित्वों को निभाने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है (जिसमें सरकारों की गतिविधियों के कारण कोई देरी, भगवान के कार्य, प्राकृतिक या किसी भी क्षेत्र में सामाजिक विपत्तियां, हड़तालें, दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली असीमित देरी शामिल है, परंतु पार्टी के आपूर्तिकर्ता को ऐसी परिस्थितियाँ जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं के अलावा देरी के कारण उसकी देयता से उसे छूट नहीं मिलेगी।

ई. डिस्क्लेमर

i. हालांकि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है।

ii. बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित, या पूरक व्यवस्था करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iii. हालांकि यह दस्तावेज़ अच्छे विचार के साथ तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या सटीकता, जानकारी की पूर्णता या विश्वसनीयता के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधित्व, वारंटी, व्यक्त करते हैं, या निहित है या जिम्मेदारी या देयत स्वीकार करते हैं, चाहे जो भी हो, और इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए किसी भी कानून, सांविधि, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही उनके किसी कार्य या चूक के कारण कोई हानि या क्षति हो।

एफ . गोपनीय कथन

i. इस निविदा दस्तावेज़ में निहित जानकारी या बाद में निविदाकार को प्रदान की गई चाहे मौखिक रूप से या दस्तावेज़ी रूप में बैंक की ओर से या उसके किसी कर्मचारी द्वारा, इस निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और अन्य सभी नियम और शर्तें जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

ii. इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को उनके प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता करने के लिए जानकारी प्रदान करना है।

iii. इस निविदा दस्तावेज़ से यह आशय नहीं होना चाहिए कि इसमें वे सभी सूचनाओं निहित होंगी जिनकी प्रत्येक निविदाकर्ता को आवश्यकता हो सकती है।

iv. यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और / या इसके कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि और प्रत्येक बोलीदाता की आवश्यकताये जो निविदा को पढ़े या इसे उपयोग करे के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति पर विचार करें।

v. प्रत्येक निविदाकर्ता को स्वयं जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज़ में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सूचना प्राप्त करें।

vi. बैंक और कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं हैं और निविदा दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, सांविधि, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं उठाएंगे।

vii. यह दस्तावेज़ और उसमें दी गई जानकारी गोपनीय है और इसका उद्देश्य केवल निविदाकर्ता (ओं) के उपयोग के लिए है।

खंड III:

अनुबंध के नियम और शर्तें

काम का दायरा :

बोलीदाताओं से भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "RBI" के रूप में संदर्भित), सी बी डी बेलापुर, नवी मुंबई द्वारा ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकार पूरी तरह से कवर किए गए कंटेनर ट्रकों / वाहनों जिनकी बाँड़ी धातु की हो और उचित मोटाई हो, अधिमानतः बुलेट/टैम्पर प्रूफ, डबल लॉकिंग व्यवस्था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सिद्धों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में आरबीआई, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई से इसके अधिकार क्षेत्र और महाराष्ट्र और गोवा में किसी भी अन्य स्थान पर स्थित मुद्रा चेस्टों तक अपने जोखिम पर आपूर्ति करेगा।

प्रारम्भ /नवीनीकरण

i. सफल निविदाकर्ता को जब बैंक से उसकी निविदा की स्वीकार्यता संबंधी सूचना मिलने पर अनुबंध के निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए बाध्यकर होगा। सफल निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के अंदर करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

ii. सफल निविदाकार (रों) के समझौते पर हस्ताक्षर करने और अनुबंध को निष्पादित करने से इनकार करने या अनुबंध को रद्द करने या किसी भी तरीके से सेवा में रुकावट बनने की स्थिति में, किसी भी समय इसकी वैधता के दौरान, बैंक के पास रखी जाए ईएमडी / सेक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा होगी। भविष्य में निविदाकर्ता को किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

iii. अनुबंध एक वर्ष के लिए अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसे बैंक के अपने अभिमत में दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बदलाव के बिना एक बार में एक वर्ष, बशर्ते संविदात्मक नियमों और शर्तों के तहत संतोषजनक निष्पादन हो।

iv. जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली होगी, तो अनुबंध के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करना होगा कि क्या वह मौजूदा अनुबंध के अनुसार दरों की अनुसूची सहित मौजूदा नियमों और शर्तों पर अनुबंध को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

सेक्योरिटी

i. निविदाकर्ता (ओं) बैंक को अविकल्पी निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) को एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से कम 2 करोड़ रुपए (केवल दो करोड़ रुपए) की राशि के लिए बैंक के पक्ष में प्रस्तुत करेगा, जो परिवहन किये जाने वाले खजाने के मूल्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हो।

ii. निष्पादन बैंक गारंटी (PBG) अनुबंध के नियत प्रदर्शन के लिए जो अनुबंध की पूरी अवधि के लिए होगा, और बैंक को किसी भी नुकसान या नुकसान के कारण क्षति के लिए होगा। यदि अनुबंध का नवीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार तदनुसार विस्तारित बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

iii. बैंक प्रेषण की राशि के आधार पर बैंक गारंटी की राशि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार को अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी।

iv. अनुबंध के सफल समापन से संतुष्ट होने के बाद ही अनुबंध अवधि के पूर्ण होने के 3 माह के बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी और संबंधित किसी भी अभिकरण से या ठेकेदार के कर्मचारी से कोई देनदारी नहीं।

ठेकेदार के कर्तव्य:

वैधता अवधि पूरी होने तक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i. ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान, महाप्रबंधक / उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, सीबीडी बेलापुर या उसके किसी भी अधीनस्थ अधिकारी से लिखित या मौखिक सूचना की प्राप्ति से बारह घंटे के भीतर, बक्से में पैक किये गए सिक्के के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा। टेलीफोन या मोबाइल फोन या ई-मेल या फैक्स आदि के माध्यम से ठेकेदार को इस तरह की मांग सूचना दी जा सकती है। सिक्के के परिवहन के लिए बैंक द्वारा मौखिक या लिखित रूप से अन्य नोटिस जारी करके तय समय से तीन घंटे से कम समय में इस मांग की सूचना (रेकॉर्डिसन नोटिस) को रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में बैंक ठेकेदार को पारिश्रमिक मुआवजा आदि का कोई भुगतान नहीं करेगा।

ii. तत्काल मामलों में, महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक -प्रभारी, बैंक के निर्गम विभाग द्वारा प्रमाणित मांग की सूचना (रेकॉर्डिसन नोटिस) बारह घंटे के नोटिस के बदले तीन घंटे के नोटिस के साथ, बैंक द्वारा दी जा सकती है और तदनुसार ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

iii. दिए गए नोटिस का अनुपालन करना ही होगा चाहे भले ही इसके लिए कारोबार के सामान्य कार्य-घंटों से ज्यादा या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित सार्वजनिक छुट्टी/छुट्टियों जिसमें शनिवार और रविवार शामिल है या इस सम्बन्ध में लागू किसी अन्य वर्तमान संबंधि/प्रावधानों के तहत घोषित छुट्टी/छुट्टियों को काम करना पड़े।

iv. ठेकेदार, किसी भी परिस्थिति में, बैंक के कन्साइन्मेन्ट को ले जाने वाले वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित सामान या अन्य वस्तुओं का परिवहन नहीं करेगा।

v. ठेकेदार को सिक्का बैग अपने जोखिम पर सौंप दिए जाएंगे, उन्हें उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। ठेकेदार बैंक के परामर्श से अपनी लागत पर सिक्कों के बीमा की व्यवस्था कर सकता है।

vi. ठेकेदार को आवश्यक रूट परमिट प्राप्त करने और अपने स्वयं के सभी प्रासंगिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

vii. ठेकेदार इस ठेके को किसी अन्य को नहीं देगा। वह बैंक के पूर्व लिखित अनुमति के अतिरिक्त ठेके के किसी भी हिस्से को बैंक की लिखित अनुमति के बिना सबलेट (उपठेका) नहीं करेगा। उल्लंघन की स्थिति में बैंक ठेका निरस्त करने के बारे में ठेकेदार को नोटिस जारी करेगा तथा जमानत जमाराशि को जब्त कर लेगा।

viii. वाहन के किसी भी ब्रेकडाउन के मामले में, ठेकेदार क्रेन / स्टैंड-बाय / वैकल्पिक वाहनों की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा, ताकि खजाने के प्रेषण में देरी न हो।

ix. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों को संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागज, परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, अद्यतन भुगतान किया गया कर, बीमा कवर आदि शामिल हैं। ट्रकों के ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठेकेदार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि नहीं होने के कारण बैंक द्वारा किए गए किसी भी, व्यय के लिए और वहन किए गए लागत, शुल्क के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

x. वाहनों को संभालने के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए ड्राइवर और कर्मचारी अन्य संगठनों / फर्मों से नहीं होने चाहिए।

xi. बैंक को किसी भी समय ठेकेदार द्वारा काम के लिए तैनात किए गए वाहनों का निरीक्षण या निरीक्षण की व्यवस्था करने और किसी भी वाहन / उपकरण को असुरक्षित घोषित करने और ऑपरेशन से तत्काल वापस लेने का अधिकार होगा। ठेकेदार उसी का तुरंत / तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

xii. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। नोट बॉक्स, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और आम जनता या बैंक के परिसर में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूर्ण कार्य / गतिविधियां की जानी चाहिए। निविदाकार को ठेकेदार श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के साथ समन्वय में काम करना होगा।

xiii. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन 10 वर्ष से कम पुराने और सड़क पर चलने वाले और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन वाहनों पर ठेकेदारों का स्वामित्व हो या ठेकेदारों द्वारा पट्टे पर लिया गया हो। पट्टे पर वाहनों के मामले में, अनुबंध के दौरान वाहनों के पट्टे की अवधि समाप्त नहीं होगी।

xiv. ठेकेदार दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, किसी भी दोषपूर्ण वाहन या ठेकेदार के कर्मचारियों की अक्षमता, लापरवाही के कारण होने वाली हानि या क्षति के लिए बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा।

भुगतान और कर:

प्रत्येक कन्साइन्मेंट के लिए सभी तरह से पूर्ण बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

i. ठेकेदार को इस अनुबंध की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रस्तावित शुल्क पूरे अनुबंध अवधि के लिए निश्चित हैं और किसी भी आधार पर बढ़ाया नहीं जा सकता है और न ही ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क का दावा किया जाएगा।

ii. बिलों का भुगतान अंतिम राशि को निकटतम ₹1 / - (50 पैसे से अधिक की राशि अगले रु.1/- में पूर्णांकित की जाएगी और उससे कम की राशि छोड़ दी जाएगी) के राउंडिंग ऑफ के बाद किया जाएगा। ठेकेदार को देय सभी बिल इस संबंध में संबंधित कानूनों / नियमों के तहत निर्दिष्ट दर पर स्रोत पर कर कटौती के अधीन होंगे।

iii. अनुबंध की राशि में समावेशी होगी जिसमें फिक्स्ड और ऑपरेटिंग चार्ज शामिल होंगे और स्कोप ऑफ वर्क पर आधारित, वाहन की आपूर्ति और अन्य बातों के साथ, ड्राइवर वेतन / वर्दी / भोजन / भत्ते आदि शामिल होंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा और ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, कर और लेवी, पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क और अन्य सभी शुल्क शामिल हैं।

iv. बैंक के पास भुगतान पश्चात ऑडिट या तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी ओवरपेमेंट की रिकवरी को पुनर्प्राप्त / लागू करने का अधिकार आरक्षित है।

v. अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी क्षतिपूर्ति या अन्य रकम को ठेकेदार द्वारा दी गई बैंक गारंटी या ठेकेदार को देय राशि या जो जिस राशि का भुगतान ठेकेदार को करना होगा उससे कटौती की जाएगी।

vi. किसी भी विवाद के कारण कि किसी भी दायित्व यहां उत्पन्न होने पर, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई का निर्णय अंतिम होगा।

अयोग्यता / समाप्ति / जुर्माना:

i. निविदाकर्ता की ओर से या उसके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी तरह की कैन्वासिंग के कारण अयोग्य हो जाएगा। इस तरह के मामले में निविदाकर्ता की निविदा एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट किए जाने के अलावा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि इस तरह की दृष्टांत चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चलते हैं, लेकिन बाद में पता चला है, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ii. अनुबंध को किसी भी कारण से दोनों पक्षों द्वारा समाप्त किया जा सकता है, अन्य पार्टी को इस तरह की समाप्ति के बारे में तीन महीने का नोटिस देते हुए।

iii. श्रमिक/ मजदूरों की आपूर्ति के संबंध में बैंक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुपालन में विलम्ब कि स्थिति में या ठेके किसी अनुदेश के उल्लंघन, महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, आर बी आई , सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई द्वारा पाए जाने पर गंभीर पर्याप्त जुर्माने लगाने का विचार किया जा सकता है ,उपर्युक्त महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक-प्रभारी आर डी/ अधिकारी-प्रभारी के परामर्श से ठेकेदार पर ₹10,000/- (केवल दस हजार रुपये)से अनधिक के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।

iv. इस समझौते के किसी भी प्रावधान के ठेकेदार द्वारा लगातार या निरंतर देरी के मामले में या किसी भी उल्लंघन के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), आरबीआई, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई के अनुमोदन के साथ बैंक महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचना देकर तत्काल प्रभाव से अनुबंध समाप्त कर सकता है- भले ही इस तरह की देरी या उल्लंघन के लिए पहले कोई जुर्माना लगाया गया है या नहीं।

v. अनुबंध की निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदार के निष्पादन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो अनुबंध को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त कर दिया जाएगा।

vi. यदि ठेकेदार लगातार 3 से अधिक अवसरों के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है, तो बैंक को कोई भी नोटिस दिए बिना / जो भी कारण हो सकता है, के साथ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है। ऐसे मामले में ट्रांसपोर्टर के पास मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं है।

संविधि का अनुपालन:

ठेकेदार देश और संबंधित राज्य में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i. ठेकेदार मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों और संबंधित राज्यों में लागू विभिन्न राज्यों के नियमों का पालन करेगा।

ii. ठेकेदार सभी लागू सांविधिक भुगतान करेगा जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कामगार / श्रमिकों को केंद्रीय सरकार। / राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार जो भी अधिक हो का भुगतान करेगा, इसके अतिरिक्त अन्य सभी वैधानिक भुगतानों का भुगतान करते हुए।

iii. कामगार / मजदूर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कर्मकार / मजदूर को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस अधिनियम, 1965 के तहत बोनस और / या लाभांश, अधिनियम के तहत ईएसआई, को प्रदान किया जाना चाहिए, जैसा लागू हो। ईएसआई की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को बीमा के कवरेज के तहत देयता लेनी चाहिए जैसे कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा। कुल प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मकार / मजदूरों के लिए PF अंशदान करने के लिए वैध पीएफ खाता होगा। किसी भी वैधानिक भुगतान का पालन न करने के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक गारंटी (PBG) से कटौती की जाएगी।

iv. ठेकेदार सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को प्रचलित कानून के अनुसार बनाए रखेगा और प्रबंधन / वैधानिक अधिकारियों के समक्ष और जब भी पूछा जाएगा, तब प्रस्तुत करेगा।

v. ठेकेदार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए नियुक्त अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के साथ वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह उसके हस्ताक्षर के तहत बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते को क्रेडिट किया जा सकता है और भुगतानों को दर्शाने वाले बैंक विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

vi. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी बैंक ठेकेदार को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों / वर्कर/कर्मचारियों को कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार द्वारा उसके दायित्वों के निष्पादन में कमी या चूक के कारण ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेके के श्रमिकों / वर्कर/कर्मचारियों को लागू कानून के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित हो/बुलाया जाता है तो बैंक को बकाया ठेकेदार के ऋण के रूप में ठेकेदार से बैंक द्वारा वसूल किया जाएगा।

vii. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013" के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन हेतु पूर्णतः जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर ठेकेदार के किसी व्यक्ति के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में उसे ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर किया जाएगा और ठेकेदार शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ठेकेदार के किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसे बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा। यदि किसी घटना में ठेकेदार के व्यक्ति लिस पाए जाते हैं जिसमें किसी प्रकार की मौद्रिक क्षतिपूर्ति, उदाहरणार्थ यदि ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न सिद्ध हो जाता है तो बैंक के किसी कर्मचारी को देय कोई मौद्रिक राहत, का भुगतान आवश्यक हो तो उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम एवं संबंधित मुद्दों के बारे में अपने व्यक्तियों को शिक्षित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

अप्रकटीकरण खंड

ठेकेदार अपने दायित्व के निर्वहन के दौरान कोई जानकारी, सामग्री अथवा बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/ सिस्टम्स /उपकरणों, आदि के ब्योरे, जो प्राप्त होते हैं अथवा ज्ञात होते हैं, किसी तीसरी पार्टी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा तथा तत्संबंध में हर समय पर पूरी गोपनीयता का पालन करेगा। ठेकेदार इस ठेके के ब्योरों को इसके तहत दायित्व निभाने के लिए आवश्यक सीमा तक अथवा लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए, को छोड़कर प्राइवेट तथा गोपनीय समझेगा। ठेकेदार नियोक्ता की लिखित में पूर्वानुमति के बिना कार्य के ब्योरे किसी व्यापार संबंधी पेपर अथवा तकनीकी पेपर में अथवा अन्यत्र प्रकाशित नहीं करेगा, उसे प्रकाशित अथवा प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा वहन किए गए किसी नुकसान के लिए ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त के अनुपालन में असफल होना ठेकेदार के द्वारा ठेके को भंग समझा जाएगा और नियोक्ता नुकसान हेतु दावा करने तथा कानूनी उपाय करने के लिए हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी यथोचित कार्रवाई करेगा कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण के दायित्व से पूर्णतः संतुष्ट है। गोपनीयता के अप्रकटीकरण के संबंध में ठेकेदार का दायित्व कुछ कारणों से इस करार की समाप्ति के बाद भी बना रहेगा।

खंड IV:

भारतीय रिजर्व बैंक, बेलापुर, नवी मुंबई से/तक महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न मुद्रा चेस्ट और अन्य स्थानों से/तक सिक्को के कैरीयर के जोखिम के आधार पर परिवहन के लिए पूरी तरह से कवर कंटेनर ट्रकों / वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति के लिए ई-टेंडर – भाग I

तकनीकी बोली प्रपत्र

(नोट - ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरा और अपलोड किया जाना है)

क्र.सं	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी		
1.	निविदाकर्ता का नाम			
2.	क्या निविदाकर्ता कंपनी, साझेदारी फर्म या मालिकाना प्रोप्रायटरी कंसर्न है			
3.	उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जो अनुबंध निष्पादित करेंगे			
4.	कंपनी / फर्म / प्रोपराइटरशिप कंसर्न का पंजीकृत पता और संपर्क पता			
5.	टेलीफोन नंबर	कार्यालय	आवास	मोबाइल
6.	ई-मेल आईडी			
7.	फैक्स नंबर			
8.	मुंबई / नवी मुंबई के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निविदाकार के कार्यालय / स्थानीय प्रतिनिधि का पता			
9.	इस तरह के कार्य करने में अनुभव (वर्षों की संख्या) (प्रमाण पत्र जिन्हें			

18. क्या परिवहन वाहनों के चालकों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं? - हाँ/नहीं

19. (क) क्या निविदाकर्ता को आरबीआई या राज्य / केंद्र सरकार के विभाग द्वारा कभी ब्लैकलिस्ट किया गया है? - हाँ / नहीं

(यदि फर्म या उसके निदेशक/कों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने से वर्जित या ब्लैकलिस्ट किया गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)।

(ख) क्या फर्म या उसके निदेशक / कों के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी भी अदालत में लंबित है? हाँ / नहीं
यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

20. क्या निविदाकर्ता को अनुबंध के नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं? – हाँ / नहीं

यदि हाँ तो, अनुबंध के नियमों और शर्तों की एक प्रति, इस निविदा दस्तावेज के खंड- III में दी गई है, जो प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित हो, निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. भारतीय रिजर्व बैंक, बेलापुर, नवी मुंबई के खाते में एनईएफटी के माध्यम से जमा बयाना राशि का विवरण:

ए) एनईएफटी: यूटीआर नंबर और एनईएफटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित करने की तारीख

बी) राशि: ₹80,000/-

घोषणा:

ए) मेरे / हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे / हमारे जानकारी और अभिमत से सही और ठीक है और यदि उनमें से कोई भी बाद में असत्य/गलत साबित होता है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, जो उसे उचित लगे।

बी) मैं / हम समझते हैं कि यदि कोई भी सूचना मेरे द्वारा / हमारे द्वारा दी गई गलत / गलत पाई जाती है, तो किसी भी स्तर पर अस्वीकृति के लिए हमारा टेंडर उत्तरदायी है और इस संबंध में RBI का निर्णय अंतिम होगा।

कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का नाम / फर्म:

हस्ताक्षर (कंपनी / फर्म की मुहर के साथ):

दिनांक:

खंड V:

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- i. अनुभव प्रमाणपत्र, जैसा कि खंड II (3) (i) के तहत उल्लिखित है
- ii. पिछले तीन वर्षों के ऑडिट किये हुए वित्तीय विवरण, जैसा कि खंड II (3) (ii) के तहत उल्लिखित है
- iii. बैंक द्वारा प्रमाणित सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो नवीनतम ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार पॉजिटिव नेट वर्थ है, जैसा कि खंड II (3) (iii) के तहत उल्लिखित है।
- iv. सेक्शन II (3) (iv) के तहत उल्लिखित विनिर्देशों के साथ वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- v. निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी / फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी /authorization शक्ति, जैसा कि खंड II (19) (i) (बी) में उल्लिखित है।
- vi. अंडरटेकिंग जिसमें उल्लेख हो कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान के लिए विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी / व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, जैसा कि खंड II (19) (i) (d) में उल्लिखित है।
- vii. स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन नंबर की प्रतियां
- viii. दस्तावेज जिससे स्पष्ट होता हो कि निविदाकर्ता का मुंबई / नवी मुंबई के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय / स्थानीय प्रतिनिधि है
- ix. वाहनों के राष्ट्रीय परमिट की फोटो प्रतियां
- x. आवेदक द्वारा अनुबंध के नियम और शर्तों (खंड III में निहित) की स्वीकृति, निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दूसरी प्रति प्रस्तुत करते हुए।
- xi. अनुबंध में निर्दिष्ट कार्य की मदों के निष्पादन के लिए आरबीआई, बेलापुर में ठेकेदार द्वारा तैनात किए जाने वाले ड्राइवरों / कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र।
- xii. एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई, बेलापुर खाते में जमा बयाना राशि की सूचना
- xiii. पिछले एक वर्ष का बैंक विवरण।

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेज तकनीकी निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय प्रस्तुत / अपलोड किए जाने चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के विवेक पर भाग- I में अयोग्य माना जाएगा।

खंड VI:

भाग- I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन

अर्हक मानदंड

तकनीकी बोली पर विचार के लिए इस दस्तावेज में पहले निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा।

क्र. सं.	तकनीकी मूल्यांकन के पैरामीटर	क्या पैरामीटर को पूरा कर रहे हैं/ क्या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गए (हां / नहीं)	निविदा के भाग- I के लिए अर्हता प्राप्त करने के योग्य है या नहीं	टिप्पणी
1.	इसी तरह के कार्यों को करने में न्यूनतम पांच साल का अनुभव	हाँ	हाँ	
		नहीं	नहीं	
2.	पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुबंध के अनुमानित व्यय का कम से कम 25% वार्षिक औसत कारोबार - लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित होना	हाँ	हाँ	
		नहीं	नहीं	
3.	सकारात्मक निवल मूल्य - बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित साल्वेंसी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना	हाँ	हाँ	
		नहीं	नहीं	
4.	वाहनों के राष्ट्रीय परमिट धारक है या नहीं?	हाँ	हाँ	
		नहीं	नहीं	
5.	क्या परिवहन वाहनों के चालकों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं ?	हाँ	हाँ	
		नहीं	नहीं	
6.	क्या टेंडरकर्ता को कभी आर बी आई या राज्य / केंद्र सरकार के विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है?	हाँ	नहीं	
		नहीं	हाँ	
7.	क्या फर्म या उसके निदेशक/कों के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी अदालत में लंबित है?	हाँ	नहीं	
		नहीं	हाँ	
8.	क्या निविदा दस्तावेज के खंड - III में दिए गए अनुबंध के नियम और शर्तें निविदाकार को स्वीकार्य हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, इसकी प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।	हाँ	हाँ	
		नहीं	नहीं	
9.	क्या निविदाकर्ता द्वारा बैंक को ₹80,000 / - का बयाना राशि जमा किया गया है? यदि हाँ, तो एनईएफटी विवरण की प्रति संलग्न करनी होगी।	हाँ	हाँ	
		नहीं	नहीं	

उपरोक्त मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाले केवल निविदाओं के भाग- I में अर्हता प्राप्त करेंगे और भाग- II यानी वित्तीय बोली के लिए पात्र होंगे। हालाँकि, बैंक अपने विवेकाधिकार के तहत किसी भी मानक को शिथिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन यह सभी के लिए लागू है।

खंड VII:

भारतीय रिजर्व बैंक, बेलापुर, नवी मुंबई से/तक महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न मुद्रा चेस्ट और अन्य स्थानों से/तक सिक्को के कैरीयर के जोखिम के आधार पर परिवहन के लिए पूरी तरह से कवर कंटेनर ट्रकों / वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति के लिए ई-टेंडर – भाग II

वित्तीय बोली फॉर्म

(नीचे दी गई वित्तीय बोली का प्रोफार्मा केवल आपके संदर्भ के लिए है। MSTC ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरी जाने वाली वित्तीय बोली)

7.5 मीट्रिक टन तक क्षमता के कंटेनर की आपूर्ति के लिए दरें:

अ सं.	दूरी	दर (₹)
(i)	200 किलोमीटर की दूरी तक (एकमुश्त राशि)	
(ii)	200 किलोमीटर के पार (अतिरिक्त किमी प्रति दर)	

नोट:

उद्धृत दरें सभी लागू करों का समावेश किया जाएगा, यदि कोई हो।

खंड VIII:
वित्तीय बोली का मूल्यांकन

L1 दर की गणना की विधि :

L1 दर की गणना बोलीदाता द्वारा दोनों मदों अर्थात (i) और (ii) के तहत दरों के भारित औसत के आधार पर निम्नलिखित विधि अनुसार की जाएगी

उदाहरण:

क्र.सं (i) के तहत उद्धृत दर – रु. A (30% वेट असाइन किया जाएगा)

क्र.सं (ii) के तहत उद्धृत दर – रु. B (70% वेट असाइन किया जाएगा)

L1 राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{Amount} = (30\% \text{ of रु. A} / 200) + (70\% \text{ of रु. B}) = \text{रु. X}$$

इसलिए, L1 मूल्य की गणना के लिए ली जाने वाली राशि= रु. X

(Hence, the Amount to be taken for calculating the L1 Price = Rs. X)